

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 5350/पें०एवंआर०-28/पाकालि/09-60-पी०एण्डआर०/98(टी०सी०) दिनांक 14.12.10

कार्यालय- ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं वितरण कम्पनियों, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के दिनांक 01.01.06 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशनरी लाभों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या 397-पें०एवंआर०-28/पाकालि दिनांक 02.03.09 द्वारा शासनादेश संख्या 3-1515/दस दिनांक 08.12.08 (अंगीकृत) के अनुक्रम में 01.01.06 से कारपोरेशन के आदेश संख्या 5226-पें०एवंआर०-28/पाकालि/10-60पी-98टी०सी०-1 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 के द्वारा शासनादेश संख्या 3-1358/दस-2010 दिनांक 19.07.10 को अंगीकृत कराये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेंशन निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

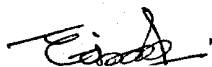
कारपोरेशन के आदेश संख्या 1989-पें०एवंआर०-28 /पाकालि/90-60-पी०एण्डआर०/98 (टी०सी०) दिनांक 26 अगस्त, 2009 के प्रस्तर-4 द्वारा 01.01.06 से पूर्व पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन संशोधन करने हेतु प्रारूप-1 भरकर इसे प्रमाणित कराते हुए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई को प्रेषित कराने तथा पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई द्वारा प्रारूप-1 के प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करने एवं पुनरीक्षित पेंशन से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-2 पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

वर्तमान में कारपोरेशन के आदेश संख्या 5226-पें०एवंआर०-28/पाकालि/10-60पी-98टी०सी०-1 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 के द्वारा शासनादेश संख्या 3-1358/दस-2010 दिनांक 19.07.10 को अंगीकृत कराये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेंशन 01.01.06 से निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं तथा इन आदेशों के तहत कार्यवाही हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या 981-काविनी एवं वे०प्र० दिनांक 14.08.10 एवं स्पष्टीकरण आदेश सं० 1094-काविनी एवं वे०प्र० दिनांक 01.09.10 के द्वारा प्रकल्पित वेतनमान एवं प्रकल्पित वेतनमान के आधार पर अगणित पेंशन (दिनांक 20.07.10 से अनुमन्य) को भी ध्यान में रखा जाना है, के लिए कारपोरेशन के आदेश संख्या 1989-पें०एवंआर०-28/पाकालि/ 90-60-पी०एण्डआर०/98(टी०सी०) दिनांक 26 अगस्त, 2009 के साथ संलग्न प्रारूप-1 एवं संलग्नक प्रारूप-2 को यथासंशोधित किया गया है।

अतः पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु संलग्न प्रारूप-1 (यथासंशोधित) को भर कर इसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई को प्रेषित कर दिया जाय। पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई द्वारा उक्त विवरण प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा पुनरीक्षित पेंशन से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-2 (यथासंशोधित) पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय ताकि पेंशन स्वीकृत अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेखों को अद्यावधिक कर सकें।

संलग्नक:- यथोपरि।

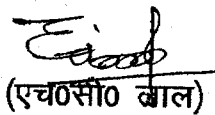
निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि० लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्योच्चल/पूर्वाञ्चल/पश्चिमोच्चल/दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को/ट्रान्सको, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी० पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झॉसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कट फाइल।

आज्ञा से,



(एच०सी० लाल)

अनुसचिव (पी०एण्डआर०)

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता/परिक्षेत्रीय उपमुख्य लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/विद्युत वितरण कम्पनी (अन्तिम तैनाती स्थल/इकाई)

विषय: कारपोरेशन के आदेश सं० 5226-पें०एवंआर० दिनांक 22.11.10 के अनुपालन में 01.01.06 से
पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का आवेदन पत्र।

महोदय,

कृपया दिनांक 01.01.06 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित ब्यौरा इस अनुरोध के साथ
प्रस्तुत कि अपेक्षित सूचना अपने कार्यालय स्तर से पूर्ण कर बिन्दु सं० 7 पर दर्शायी गयी पेंशन आहरण एवं
वितरण इकाई को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

- 1- कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम
- 2- कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख
- 3- तारीख जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो
- 4- पेंशन भुगतानादेश संख्या एवं दिनांक
- 5- पेंशनभोगी/दिवंगत कर्मचारी के अन्तिम तैनाती कार्यालय का नाम
तथा उसके द्वारा धारित पद
- 6- पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम
- 7- पेंशन संवितरण प्राधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता
- 8- अन्तिम धारित वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन
- 9- कारपोरेशन के आदेश सं० 981-काविनी एवं वे०प्र० दिनांक 14.08.10 एवं स्पष्टीकरण आदेश सं०
1094-काविनी एवं वे०प्र० दिनांक 01.09.10 के अनुपालन में प्रकल्पित वेतनमान (दिनांक 20.07.10
से पेंशनरी लाभ अनुमन्य कराने हेतु)
- 10- क्रम सं० 9 के समंतुल्य दिनांक 01.01.2006
से प्रतिस्थापित पुनरीक्षित पे-बैंड एवं ग्रेड पे
- 11- (अ) पेंशनर श्री/श्रीमती की
जन्मतिथि है।
(ब) पारिवारिक पेंशनर श्री/श्रीमती/कु०
..... की जन्मतिथि (प्रमाण पत्र सहित)..... है।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

दिनांक :

उपरोक्त सूचना की पुष्टि सहित सम्बन्धित पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई को अग्रसारित।

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
(अन्तिम तैनाती स्थल/इकाई)
पदनाम मुहर सहित।

कारपोरेशन आदेश संख्या 397 दिनांक 02.03.09 एवं 5226 दिनांक 22.11.10 के आदेशानुसार दिनांक 01.01.

2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र

- 1- पेंशनर का नाम.....
- 2- अन्तिम तैनाती कार्यालय का नाम एवं पता
- 3- पेंशनर की जन्मतिथि
- 4- (1) सेवा प्रारम्भ की तिथि
- (2) सेवानिवृत्ति/मुत्तु की तिथि
- (3) अर्ह सेवा अवधि (पेंशन भुगतान आदेश के अनुसार)
- 5- (1) 01.01.96 को अनुमन्य वेतनमान
- (2) 01.01.06 को समकक्ष पे बैंड एवं ग्रेड पे
- 6- {1} पेंशन आगणन
 - (1) 01.01.06 को वर्तमान पेंशन रु0.....
 - (2) वर्तमान पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रु0.....
 - (3) वेतन के न्यूनतम पे बैंड एवं ग्रेड पे के आधार पर आगणित पेंशन दि0 01.01.06 रु0.....
 - (4) दि0 20.07.10 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर आगणित पेंशन रु0.....
 - (5) आदेश सं0 5226 दि0 22.11.10 के अनुसार 01.01.06 को न्यूनतम पेंशन रु0.....
 - (6) देय पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो रु0.....
 - (7) राशिकृत भाग को कम करते हुए शुद्ध पेंशन रु0.....
- {2} पारिवारिक पेंशन आगणन
 - (1) पारिवारिक पेंशनर का नाम
 - (2) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि
 - (3) 01.01.06 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन रु0.....
 - (4) दि0 20.07.10 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर आगणित पारिवारिक पेंशन
 - (5) आदेश सं0 5226 दि0 22.11.10 के अनुसार 01.01.06 को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
 - (6) वर्तमान पारिवारिक पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन* रु0.....
 - (7) पे बैंड के न्यूनतम व ग्रेड पे के आधार पर आगणित पारि0 पेंशन* रु0.....
 - (8) बड़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन (दिनांक तक) रु0.....
 - (9) साधारण दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन (दिनांक से) रु0.....

* (कमांक 4 एवं 5 में से जो लाभप्रद हो)
- {3} अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन
 - (1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 20%
 - (2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 30%
 - (3) 90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 40%
 - (4) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम आयु-मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 50%
 - (5) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु ...मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 100%

सहायक

लेखाकार

अधिकासी अभियन्ता

पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. पेंशन स्वीकृत अधिकारी
4. पेंशनर श्री/श्रीमती

अधिकासी अभियन्ता

पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई